बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या–95 दिनांक–17.9.2018 के द्वारा Domain Skilling Center, ANAND DS code 05010007 पर संचालित General Duty Assistant के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के जाँच के पश्चात अनियमितता का प्रतिवेदन बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराया गया। पत्र में यह उल्लेख किया गया कि इस संस्थान के प्रथम बैच (General Duty Assistant) में कुल 115 दिनों में पोर्टल द्वारा कुल समय 100 दिन मिलने के बाद भी अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति लगभग 80% है, जबकि संस्थान दिनांक 9.4.2018 से 18.4.2018 तक बंद रहा है। इस प्रकार 7 से 8 दिन संस्थान के बंद रहने के दिनों को हटा दिया जाये तो उपस्थिति 100% हो जा रही है, जो संदेहास्पद है। अपने पत्र में उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रथम बैच दिनांक–6.5.2018 को समाप्त होने के उपरान्त कुल दो बार संस्थान के Coordinator श्री अभिषेक कुमार द्वारा स्वयं स्वास्थ्य विभाग के कोषांग में उपस्थित होकर प्रथम बैच में उपस्थिति कम रहने के कारण अतिरिक्त समय की मांग हेतु आवश्यक जानकारी कोषांग से प्राप्त की गयी। उस समय प्रथम बैच में सिर्फ 3 प्रशिक्षणार्थी हीं आवश्यक 80% उपस्थिति के साथ Assessment हेतु तैयार थे, फिर जाँच के क्रम में पोर्टल पर अचानक इस बैच में 16 प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80% पाया जाना संदेह को उत्पन्न करता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त शिकायत के आलोक में Knowledge partner, MKCL से ANAND संस्था के Domain प्रशिक्षण केन्द्र DS code 05010007 बेगुसराय के प्रशिक्षणार्थियों के उपस्थिति का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जाँच के क्रम में एक प्रशिक्षणार्थी श्री ऋषिदेव कुमार की उपस्थिति के साथ छेड़छाड़ किया जाना प्रमाणित पाया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि Domain Skilling Center DS code 05010007 पोर्टल पर ANAND संस्था के नाम पर पंजीकृत है।

स्वास्थ्य विभाग तथा Knowledge partner, MKCL से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सचिव ANAND बेगुसराय DS code 05010007 से पत्र संख्या–1515 दिनांक–1.10.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में सचिव, ANAND बेगुसराय के द्वारा ईमेल के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन को यह सूचित किया गया कि उन्होंने वस्तुस्थिति की जानकारी DS code 05010007 के केन्द्र समन्वयक श्री अभिषेक कुमार से मांगी है तथा पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के पश्चात उनके द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को सूचना दी जायेगी तथा DS code 05010007 के केन्द्र समन्वयक यदि गलत क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

श्री अभिषेक कुमार, केन्द्र समन्वयक DS code 05010007 के द्वारा सचिव ANAND बेगुसराय को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा सचिव ANAND के द्वारा अपने पत्र संख्या–197 दिनांक–11.11.2018 के माध्यम से अपने Center Coordinator से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन को स्पष्टीकरण सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि केन्द्र

समन्वयक के द्वारा उन्हें बताया गया है कि उन्होंने या प्रशिक्षण केन्द्र के किसी कर्मी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से किसी प्रकार का कोई मौखिक अनुरोध नहीं किया गया है और न हीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस संबंध में प्रशिक्षण केन्द्र को किसी प्रकार का निदेश हीं दिया गया है । स्पष्टीकरण में सचिव, ANAND के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि केन्द्र समन्वयक के द्वारा उन्हें बताया गया कि उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग से किसी प्रकार का अनुरोध हीं नहीं किया गया है तो पुनः सम्पर्क करने का कोई औचित्य नहीं है । केन्द्र समन्वयक द्वारा उन्हें यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति में प्रशिक्षण के उपरान्त किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है । प्रभारी SPMU श्री पुष्पम कुमार के निरीक्षण के क्रम में केन्द्र समन्वयक के अनुपस्थिति के बिन्दु पर उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया कि औचक निरीक्षण के दिन केन्द्र समन्वयक तीव्र बुखार होने के कारण केन्द्र से अनुपस्थित थे । केन्द्र समन्वयक के द्वारा उन्हें बताया गया है कि उन्होंने उसी क्षण श्री पुष्पम कुमार से मोबाईल पर बात की थी तथा उनके द्वारा दिये गये दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ।

संस्था ANAND के सचिव के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि केन्द्र समन्वयक के द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन प्रशिक्षण के मानकों/नियमों/निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा उनके द्वारा System से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है । सचिव ANAND के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में संस्था को स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया तथा यह कहा गया कि केन्द्र समन्वयक के द्वारा अगर प्रशिक्षण में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो संस्था इसके लिए क्षमा प्रार्थी है ।

प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि सचिव ANAND के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया बल्कि केन्द्र समन्वयक से प्राप्त जवाब को हीं अपने स्पष्टीकरण के जवाब में समाहित करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन को भेज दिया गया, जबकि संस्था के सचिव से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा स्वयं करते तथा उपलब्ध कागजातों के आधार पर पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब देते । लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं करते हुए सभी चीजों को अपने केन्द्र समन्वयक पर डाल दिया गया जो किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

इसी क्रम में श्री अभिषेक कुमार, केन्द्र समन्वयक ANAND DS code 05010007 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को संबोधित एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि इस केन्द्र को स्थापित करने तथा वर्तमान तक उसे चलाने में कुल व्यय उनके द्वारा किया गया है तथा सचिव ANAND के द्वारा इस केन्द्र को Franchisee mode में उनकी पत्नी श्रीमती सुमन शर्मा को प्रदान किया गया है । आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि NGO ANAND के सचिव के पति श्री राजीव कुमार सिंह के द्वारा System को प्रत्येक माह में एक-दो बार अपने घर मंगा लिया जाता था । साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा NGO ANAND के सचिव श्रीमती इन्दुभूषण सिंह एवं श्रीमती सुमन शर्मा के बीच हस्ताक्षरित एकरारनामा की एक प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसपर प्रथम पक्ष के रूप में श्रीमती इन्दुभूषण सिंह, सचिव ANAND तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्रीमती सुमन शर्मा, पति श्री अभिषेक कुमार का हस्ताक्षर अंकित है । एकरारनामा की शर्तो के अनुसार द्वितीय पक्ष को प्रशिक्षण मद में प्राप्त राशि का 70% प्रथम पक्ष के द्वारा भुगतान किया जायेगा । इस एकरारनामा में यह उल्लेखित है कि Domain Skilling के स्थापना में संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष का होगा । इस एकरानामा पर गवाह के रुप में NGO ANAND के

सचिव श्रीमती इन्दुभूषण सिंह के पति श्री राजीव कुमार सिंह तथा श्रीमती सुमन शर्मा के पति श्री अभिषेक कुमार, जो इस केन्द्र के Center Coordinator भी हैं,का हस्ताक्षर अंकित है । एकरारनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि Domain Skilling के इस केन्द्र को 70:30% के Revenue sharing के आधार पर प्रथम पक्ष ANAND के द्वारा द्वितीय पक्ष श्रीमती सुमन शर्मा, पति श्री अभिषेक कुमार को सौंप दिया गया है ।

सभी कागजातों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष ANAND के द्वारा Domain skilling के इस केन्द्र को Franchisee mode में 30%:70% के Revenue sharing के आधार पर श्रीमती सुमन शर्मा पति श्री अभिषेक कुमार को सौंप दिया गया है । बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में सचिव ANAND के द्वारा स्वयं स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया, अपितु अपने Center Coordinator से स्पष्टीकरण पूछा गया तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये जवाब को हीं बिहार कौशल विकास मिशन को अग्रसारित कर दिया गया । यह स्थिति भी प्रमाणित करता है कि इस केन्द्र का संचालन सीधे तौर पर ANAND के द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि इसका संचालन Franchisee partner के द्वारा हो रहा है । श्री अभिषेक कुमार के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में दिये गये आवेदन पत्र में भी यह उल्लेख किया गया है कि संस्था के सचिव के पति श्री राजीव कुमार सिंह के द्वारा प्रत्येक माह में दो बार System को जाँच हेतु अपने घर पर मंगा लिया जाता था । अतः इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि System में उपस्थिति के साथ छेड़छाड़ संस्था ANAND के द्वारा हीं किया गया हो ।

तदनुकूल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि Domain skilling केन्द्र DS code 05010007 का संचालन Franchisee mode में श्रीमती सुमन शर्मा के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें Revenue के रूप में 70% की राशि प्राप्त हो रही है । इस केन्द्र को स्थापित करने में भी पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष का हीं हुआ है । अतः Franchisee mode में संचालित किये जाने के प्रमाणित आरोपों के आधार पर इस केन्द्र को द्वितीय पक्ष श्रीमती सुमन शर्मा के नाम पर विनियमित करने का आदेश दिया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि पोर्टल पर इससे संबंधित वांछित संशोधन कर दिया जाये । साथ हीं द्वितीय पक्ष श्रीमती सुमन शर्मा को आगाह किया जाता है कि भविष्य में यदि इस केन्द्र पर कौशल प्रशिक्षण को संचालित करने में किसी अनियमितता का प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करते हुए इस केन्द्र को स्थायी रूप से बंद करने की कार्रवाई की जायेगी ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–19/2018(खण्ड–1) –161 पटना,दिनांक– 18.2.19

प्रतिलिपि– (1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(2) सचिव, ANAND बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(3) श्रीमती सुमन शर्मा, पति श्री अभिषेक कुमार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/ प्रबंधक(वित्त)/प्रबंधक(कार्यक्रम क्रियान्वयन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(5) श्री अनुपम नारखेडे, Project Director, MKCL/ श्री अमित कुमार पाण्डेय, Project Director,E&Y/ श्री रत्नदीप सिंह, Manager, MIS तथा श्री निलेश कुमार मिश्रा, सहालकार, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।